

प्रेषक,

श्रवण कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
लखनऊ।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ०प्र०।

विषय- उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक: 26 मार्च, 2021

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यू०ए० पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु (शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिये) सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण के संबंध में।

मा०अनु०

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-1018/सत्तर-2-2020-16(11)/2017 टी.सी. दिनांक 17.11.2020, शासनादेश संख्या-1124/सत्तर-2-2020-16(11)/2017 टी.सी. दिनांक 31.12.2020 एवं शासनादेश संख्या-350/सत्तर-2-2020-16(11)/2017 टी.सी. दिनांक 19.03.2021 का संदर्भ प्रस्तुत है।

उक्त शासनादेश दिनांक 17.11.2020, 31.12.2020 एवं 19.03.2021 द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यू०ए० पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु उच्च शिक्षा सत्र 2021-22 के लिये उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु समय-सारिणी निर्धारित की गयी है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक शिक्षा सत्र 2021-22 के लिये उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु उचित परिश्रमों के साथ शासन द्वारा सम्बद्ध विद्यार्थीपरान्त निम्नवत् संशोधित समय-सारिणी निर्धारित की जाती है-

क्र०	कार्यवाही	निर्धारित समय-सारिणी	प्रस्तावित समय-सारिणी
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 15 जनवरी तक।	दिनांक 15 अप्रैल, 2021 तक।
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी तथ्यांक एवं राज्य विभाग से संपर्क प्रस्ताव जमा।	दिनांक 05 फरवरी तक।	दिनांक 30 अप्रैल, 2021 तक।
3	उक्त आदेश ऑनलाइन जमा हो जाना।	दिनांक 31 मार्च तक।	दिनांक 10 मई, 2021 तक।
4	निरीक्षण मण्डल का गठन।	दिनांक 15 अप्रैल तक।	दिनांक 20 मई, 2021 तक।
5	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आवेदन का मुस्तुत किया जाना।	दिनांक 30 अप्रैल तक।	दिनांक 05 जून, 2021 तक।
6	विश्वविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 10 मई तक।	दिनांक 15 जून, 2021 तक।
7	शासन में अपील करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 20 मई तक।	दिनांक 30 जून, 2021 तक।
8	शासन स्तर पर अपील प्रिस्कारित करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 10 जून तक।	दिनांक 10 जुलाई, 2021 तक।

कृपया उक्त समय-सारिणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(श्रवण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-403 / सत्तर-2-2021 तददिनांक

प्रतिनिधि लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, उ०प्र०।
2. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा० उ० मुख्यमंत्री जी।
8. गार्ड फाइल।

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

संख्या : /सम्ब.अनु./2021
दिनांक :

आज्ञा से,
(कुंवर मकरन्द सिंह)
उप सचिव।

प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या,

समस्त सहयुक्त महाविद्यालय (लखनऊ, रायबरेली, खीरी, सीतापुर एवं हरदोई जनपद)

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त शासनादेश में वर्णित समय सारिणी के अनुसार सहयुक्तता सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही पूर्ण न होने की स्थिति में किसी भी प्रतिभूत परिस्थिति के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

भवदीय
(डॉ० विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

AF/6235-37

दिनांक- 01/04/2021

प्रतिलिपि-1 सचिव कुलपति को मा० कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सेक्टर-एम, आशियाना, लखनऊ को सूचनार्थ।

इंचार्ज, वेबसाइट/यू०डी०आर०सी०, ल०वि०वि० को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को ई-मेल से प्रेषित करने एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव